राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–6152/2022

प्रहलाद तिवाड़ी –अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.11.2022
आदेश की दिनांक : 31.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री आर.के. निगम, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.11.2022 को दी है। जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ.मा.वि. चरण नदी 2, जयपुर से रा.उ.मा.वि. रामसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर में किया गया है। उसी आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थीया का स्थानांतरण भी किया गया था। उक्त स्थानांतरण आदेश में निजी प्रत्यर्थीया सीमा शर्मा को रा.उ.मा.वि. झोटवाड़ा पुलिया के नीचे, झोटवाड़ा, जयपुर से रा.उ.मा.वि. रामसिंहपुरा में स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुए उनका स्थानांतरण रा.उ.मा.वि. चरण नदी 2, जयपुर में अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह कथन है कि निजी प्रत्यर्थिया को पूर्व में रामसिंहपुरा सांगानेर, जयपुर में स्थानांतरित किया गया था। परंतु निजी प्रत्यर्थीया को लाभ देने के लिए उक्त स्थानांतरण आदेश को परिवर्तित करते हुए निजी प्रत्यर्थीया का स्थानांतरण अपीलार्थी का स्थान पर कर दिया गया। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थीया को लाभ देने की गरज से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।
2. इस अपील में आदेश दिनांक 22.11.2022 के जरिये इस अधिकरण ने अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.11.2022 की क्रियान्विति आगामी आदेश तक स्थगित रखने के आदेश दिये गए थे तथा यह भी आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
3. इस अपील में निजी प्रत्यर्थीया द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर दोनों प़क्षों को सुना गया। निजी प्रत्यर्थीया के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 04 श्रीमती सीमा शार्मा के पति श्री गजानन्द शर्मा

सहायक शासन सचिव, शासन सचिवालय के पद पर नियुक्त है, तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार सचिवालय कार्मिक कि पत्नी को जिले में ही नजदीक पदस्थापित करें या स्थानान्तरण न किया जावे के आदेश थे इसलिये अपीलार्थी को अन्यत्र स्थानान्तरण कर श्रीमती सीमा शर्मा को घर के नजदीक ही लगाया गया है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या–04 एक ही स्थान पर लम्बे समय से पदस्थापित थीं इसलिये उनका घर से नजदीक राज्य सरकार शिक्षा (ग्रुप–03) संयुक्त शासन सचिव के आदेश दिनाक 29 / 06 / 2022 के कम संख्या 17 के अनुसार श्रीमती सीमा शर्मा को लगाया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर जिले में ही किया गया है। प्रार्थीया के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर काफी लंबे समय से पदस्थापित है। निजी प्रत्यर्थी के पति शासन सचिवालय में नियुक्त है, ऐसे में नजदीक पदस्थापन करने के लिए निजी प्रत्यर्थीया का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि या दुर्भावना नहीं है।

4. हमनें निजी प्रत्यर्थीया के अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों पर विचार किया। पूर्व में निजी प्रत्यर्थीया का स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.10.2022 से रा.बा.उ.मा.वि. झोटवाड़ा पुलिया के नीचे, झोटवाड़ा, जयपुर से रा.उ.मा.वि. रामसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर किया गया था। उक्त स्थानांतरित स्थान पर निजी प्रत्यर्थीया ने स्थान ग्रहण नहीं किया। बाद में उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.10.2022 को संशोधित करते हुए स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.11.2022 पारित किया गया है। जिसमें निजी प्रत्यर्थीया को स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुए उसका स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है और अपीलार्थी का स्थानांतरण उस स्थान पर किया गया है, जहां पूर्व में निजी प्रत्यर्थीया का स्थानांतरण किया गया था। पूर्व में आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थीया का स्थानांतरण किया गया था, वह भी जयपुर में ही किया गया था, परंतु वहां निजी प्रत्यर्थीया ने कार्य ग्रहण क्यों नहीं किया, इसका कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। ऐसे में प्रथम दृष्टया निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से पुनः स्थानांतरण किया जाना प्रकट होता है। इस स्तर पर अंतरिम आदेश दिनांक 22.11.2022 को निरस्त किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। निजी प्रत्यर्थीया की ओर से प्रस्तुत स्थगन आदेश निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब रजिस्ट्रार के समक्ष दिनांक 11.07.2023 को पेश हो।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)